उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-52/2020/एस-2-1280/दस-2020-88क(13)/2017टी0सी0-3

लखनऊ :: दिनॉक: 29 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख के अधिकारी श्री रणजीत सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके अपने कार्य के साथ-साथ लेखाधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उ0प्र0, लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

2- श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

राम रतन

उप सचिव।

<u>संख्या-52/2020/एस-2-1280(1)/दस-2020, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान भवन, सूरजकुण्ड पार्क, लखनऊ।

3- निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

6- श्री रणजीत सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक कोषागार।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)

उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।